न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –30/2013 जिला दौसा।

1. मूल्या पुत्र छोट्या (फौत)
1/1 फैलीराम
1/2 रामफूल
1/3 लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छा
पुत्रान मूल्या, जाति मीणा, निवासी कैला का बास, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भागीरथ पुत्र पांचू
2. महादेव पुत्र पांचू जाति मीणा, निवासी कैला का बास, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
3. तहसीलदार तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा दिनांक 10.9.2012 बाबत नामांतरकरण संख्या 13, 16 एवं 7

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री हेमन्त सौगानी

निर्णय

दिनांक 21.5.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लालासोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.9.2012 बाबत नामांतरकरण संख्या 13, 16 एवं 7 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

पित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह कि ग्रम कैला का बास , तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी के खातेदार लाल्या पुत्र छोट्या के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 13 लच्छा पुत्र लाल्या के नाम नायब तहसीलदार , लालसोट द्वारा दिनांक 4.1.1983 को तस्दीक किया गया । इसी ग्राम एवं इसी खाते की भूमि के दूसरे खातेदार ग्यारसा पुत्र छाट्या के नाऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 16 तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 1.6.1989 को मूल्या पुत्र छोट्या व लच्छा पुत्र लाल्या के नाम तस्दीक किया गया ।

उक्त दोनों नामांतरकरण संख्या 13 दिनांक 4.1.83 एवं नामांतरकरण संख्या 16 दिनांक 1.6.89 से व्यथित होकर मृतक खातेदार लाल्या व ग्यारसा के भाई पांचू पुत्र छोट्या द्वारा पृथक पृथक दो प्रथम अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की , जो अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 4.4.1994 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत दोनों नामांतरकरा संख्या 13 व 16 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे दोनों नामांतरकरणों का निर्णय तथ्यों की जॉच कर, उभयपक्षों को सुना जाकर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करें ।

अति. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 4.4.1994 से असंतुष्ट होकर पृथक पृथक द्वितीय दो अपीलें मूल्या पुत्र छोट्या व लच्छा पुत्र लाल्या द्वारा न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 29.5.1995 से अति. जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 4.4.94 में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने के कारण उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हुये दोनों अपीलें खारिज की गई ।

अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29.5.95 के खिलाफ मूल्या पुत्र छोट्या व लच्छा पुत्र लाल्या द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 5.9.95 द्वारा विपक्षी पांच्या द्वारा अति. कलक्टर दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, उस समय नामांतरकरण प्रार्थीगण मूल्या व लच्छा के पक्ष में विद्यमान होने से उस समय नामांतरकरण की प्रोसीडिंग्स पेंडिग नहीं थी इसलिये गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का विवेचन करने के बाद अति. कलक्टर ने प्रार्थी मूल्या व लच्छा के पक्ष में किये गये नामांतरकरण को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया । यदि प्रकरण को रिमाण्ड नहीं करते तो प्रार्थी मूल्या व लच्छा के पक्ष में किये गये नामांतरकरण के केवल निरस्त होने का आदेश ही रहता । इससे प्रार्थीगण को क्या लाभ मिलने वाला था , यह समझ में नहीं आता । अब यदि प्रार्थी की मंशा केवल यह है कि अति. कलक्टर द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेश पर नामांतरकरण संबंधी आगे की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा नहीं की जावे क्योंकि पक्षकारान के बीच में घोषणा का दावा विचाराधीन है, तो वे इस बारे में तहसीलदार लालसोट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । जहॉ तक अति. कलक्टर दौसा के आदेश अथवा अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के आदेश का प्रश्न है उनमें प्रार्थी के अभिभाषक ऐसी कोई वैधानिक त्रुटि या तात्विक अनियमितता नहीं बता सके जिसके आधार पर रिवीजन याचिका एडमिट की जावे । फलस्वरूप रिवीजन याचिका एडमीशन स्टेज पर ही अस्वीकार की गई ।

माननीय राजस्व मण्डल तक से उनके निर्णय दिनांक 5.9.95 से अति.कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 4.4.94 एवं अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 29.5.95 यथावत रखे जाने पर रिमाण्ड आदेश की अनुपालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9.2012 पारित कर मृतक खातेदार छोट्या पुत्र हरिकिशन के पॉच जायन्दा पुत्र यथा– ग्यारसा, पांचू, भगवान्या, मूल्या व लाल्या में से ग्यारसा नाऔलाद फौत हुआ । पांचू के तीन लडके क्रमशः– भागीरथ, महादेव, लल्लू होने , भगवान्या के एक लडकी जमना तथा मूल्या जीवित है एवं लाल्या के दो लडकियॉ लाडा व काली पैदा हुई । इस प्रकार मृतक छोट्या के वंशज में भागीरथ, महादेव, लल्लू पुत्रान पांच्या, जमना पुत्री भगवान्या, मूल्या पुत्र छोट्या तथा लाडा , काली पुत्रियॉ लाल्या शेष रहे हैं । पांच्या के पुत्र लल्लू का रजिस्टर्ड गोदनामे के अनुसार रामचन्दा के गोद जाने का उल्लेख होने से मृतक खातेदार छोट्या पुत्र हरिकिशन की विरासत का नामांतरकरण भागीरथ, महादेव पुत्र पांच्या हिस्सा 1/4, मूल्या पुत्र छोट्या हिस्सा 1/4, लाडा, काली पुत्रियॉ लाल्या हिस्सा 1/4 , जमना पुत्री भगवान्या हिस्सा 1/4 के नाम खोलने के आदेश दिये हैं । तहसीलदार लालसोट के उक्त आदेश दिनांक 10.9.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट मूल्या पुत्र छोट्या व लच्छा पुत्र मूल्या दत्तक पुत्र लाल्या द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 4.10.2013 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार लालसोट दिनांक 10.9.2012 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 13.16 व 7 ग्राम कैलाकाबास तहसील लालसोट यथावत रखे जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है । विवादित भूमि का मूल खातेदार हरिकिशन के सजरा वंशावली में उसके दो पुत्र छोट्या व चीमा (फौत) थे । छोट्या पुत्र हरिकिशन के पॉच पुत्र ग्यारसा (नाऔलाद फौत), पांच्या (फौत), भगवान्या (फौत), मूल्या, लाल्या (फौत) थे । पांच्या के तीन पुत्र – भागीरथ, महादेव व लल्लू, भगवान्या के एक पुत्री जमना एवं लाल्या के दो पुत्री लाडा व काली है । चीमा पुत्र हरिकिशन के एक पुत्र रामचन्द्र (नाऔलाद फौत) था । भगवान्या पुत्र छोट्या का देहान्त उसके पिता छोट्या के जीवनकाल में ही होने तथा पांच्या पुत्र छोट्या अपने पिता छोट्या के जीवनकाल में ही छोट्या के भाई चीमा के पुत्र रामचन्द्र के उसके माता पिता की सहमति से गोद चला गया था । खातेदार छोट्या के निधन के बाद उसकी विरासत का नामांतरकरण ग्यारसा, मूल्या व लाल्या के नाम होकर उनका नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो गया था । उक्त तीनों सहखातेदारों में से खातेदार लाल्या के निधन पर उसकी विरासत का नामांतरकरण लच्छा पुत्र लाल्या के नाम व ग्यारसा के निधन पर उसकी विरासत का नामांतरकरण मूल्या पुत्र छोट्या व लच्छा पुत्र लाल्या के नाम बहिस्सा बराबर का तस्दीक हो गया था । उक्त खातेदार लाल्या व ग्यारसा की विरासत के दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ पांच्या पुत्र छोट्या द्वारा अपीलें न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष की गई, जो अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 4.4.1994 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत दोनों नामांतरकरण संख्या 13 व 16 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे दोनों नामांतरकरणों का निर्णय तथ्यों की जॉच कर, उभयपक्षों को सुना जाकर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करें । अति. कलक्टर के निर्णय के खिलाफ अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर को हुई एवं अति. सम्भगीय आयुक्त के निर्णय के खिलाफ निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में हुई जिसमें निर्णय दिनांक 29.5.95 द्वारा दोनों न्यायालयों के निर्णयों को उचित ठहराते हुये उन्हें यथावत रखा गया । उनका कहना था कि उक्त निर्णयों की अनुपालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9.2012 प्रकरण के तथ्यों के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के समक्ष विचाराधीन था । वाद के विचाराधीन रहते एवं वाद के निर्णय तक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को न्याय की दृष्टि से स्थगित रखना चाहिये था , लेकिन ऐसा नहीं कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । रेस्पोंडेन्ट 1 व 2 का पिता पांच्या उसके पिता छोट्या के जीवनकाल में ही रामचन्द्र पुत्र चीमा के गोद चला गया था जिसकी पुष्टि बखूबी अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजात से होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने पांच्या के पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में नामांतरकरण खोलने के आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि छोट्या के पुत्र लाल्या की पुत्रियॉ लाडा व काली तथा छोट्या के पुत्र भगवान्या की पुत्री जमना ने अपीलान्ट मूल्या व लच्छा के हक में हकत्याग पत्र पंजीकृत करवा दिया था , लेकिन उनके नाम भी नामांतरकरण खोलने के अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स अनपढ ग्रमीण परिवेश के व्यक्ति होने के कारण अपीलाधीन

चित्रा
प्रतिलिपिकार संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदेश की जानकारी उन्हें समय पर नहीं हो सकी तथा जानकारी हो ने पर नकल प्राप्त कर अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 10.9.12 निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 13.16 व 17 यथावत रखे जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 10.9.2012 का प्रारम्भ से ही ज्ञान था , लेकिन अपील दिनांक 4.10.2013 को करीबन 1 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित अंकित किया है । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं जाना चाहिये । सर्वप्रथम अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट का कहना था कि हरिकिशन के पॉच लडकों में से भगवान्या के एक लडकी जमना, ग्यारसा (लॉ–औलाद) फौत, लाल्या के दो लडकी लाडा व काली , मूल्या अपने पिता छोट्या के जीवनकाल में ही प्रताबा पुत्र लक्ष्मण के दिनांक 24.4.1964 को गोद चले जाने के कारण प्रताबा पुत्र लक्ष्मण की विरासत का नामांतरकरण संख्या 1 ग्राम कैला का बास मूल्या के नाम दिनांक 1.1.1969 को तस्दीक हुआ एवं प्रताबा की भूमि पर काबिज हो गया । भगवान्या व लाल्या की लडकियॉ शादी होने के बाद ससुराल चली गई । ऐसी स्थिति में मृतक छोट्या का एकमात्र वारिस पांच्या ही रहा । पांच्या के तीन पुत्र भागीरथ, महादेव व लल्लू है जिनमें से लल्लू रामचन्द पुत्र चीमा के रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 30.5.89 से गोद चला गया । गोदनामा एवं नामांतरकरण संख्या 1 कैला का बास मूल्या के गोद जाने की प्रति भागीरथ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश करदी थी । उनका कहना था कि सहायक कलक्टर लालसोट में पांचू बनाम लच्छा के नाम से वाद विचाराधीन था जिसमें रामचन्द्र के पिता चीमा जो छोट्या का खास भाई था, के बयान हुये हैं जिनमें रामचन्द्र ने मूल्या को प्रताबा पुत्र लक्ष्मण के गोद जाना बताया है । जब मूल्या प्रताबा के गोद चला गया तो उसका उसके पिता छोट्या की भूमि में कोई हिस्सा नहीं रहा एवं भगवान्या व लाल्या के कोई पुत्र संतान नहीं है केवल पुत्रियॉ थी, जो शादी होने पर ससुराल चली जाने से छोट्या के एक मात्र वारिस पांच्या ही रहता है । इसलिये छोट्या की विरासत पांच्या व उसके लडके भागीरथ व महादेव के नाम ही किया जाना न्यायसंगत है , परन्तु मूल्या व उसके लडके ने गलत व अवैध तरीके से पांच्या को रामचन्द्र का गोद पुत्र बता दिया जबकि रामचन्द्र ने अपने जीवनकाल मे लल्लू को रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 30.5.89 से गोद लिया है । नामांतरकरण संख्या 7 के संबंध में उनका कहना था कि छोट्या की मृत्यु के बाद नामांतरकरण संख्या 7 ग्यारसा, मूल्या व लाल्या के नाम गलत खुला था जिसमें पांच्या का नाम नहीं था जबकि पांच्या छोट्या का पुत्र होने से विधिक वारिस है । नामांतरकरण संख्या 7 निरस्त होकर जॉच के लिये रिमाण्ड हुआ । उनका कहना था कि छोट्या के पुत्र लाल्या ने कभी भी लच्छा को गोद नहीं लिया एवं छोट्या के पुत्र मूल्या, प्रताबा के गोद चले जाने के कारण उसका छोट्या की विरासत में कोई अधिकार नहीं रहा । ग्राम पंचायत बिदरखा से लच्छा ने अपने आपको लाल्या का दत्तक पुत्र बताकर नामांतरकरण संख्या 13 खुलवा लिया, जो निरस्त हो चुका है । उनका कहना था कि छोट्या के पुत्र लाल्या के दो लडकी लाडा व काली एवं छोट्या के पुत्र भगवान्या के एक लडकी जमना है। भगवान्या व लाल्या के कोई लडका नहीं था एवं लडकियों का विवाह होने से लाल्या व भगवान्या की सम्पत्ति उसके एकमात्र भाई पांच्या के हक में विरासतन आनी चाहिये क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू नहीं

होता । मीणा जाती में विवाहित लडकियों को अपने पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता , परन्तु फिर भी मूल्या व लच्छा ने भगवान्या व लाल्या की पुत्रियों से रिलीज डीड बिना अधिकार व बिना भूमि नाम हुये कराई है , जो व्यर्थ है एवं कानून सम्मत नहीं है । उनका कहना था कि रिलीज डीड सहखातेदारों को ब्लड रिलेशन में ही करवा सकता है । लडकियों के नाम नामांतरकरण नहीं खुला था इसलिये उन्हें रिलीज डीड कराने का अधिकार नहीं था एवं इसके आधार पर लच्छा व मूल्या को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते । ग्यारसा पुत्र छोट्या लाऔलाद फौत हो गया तथा मूल्या पुत्र छोट्या प्रताबा पुत्र लक्ष्मण के गोद चला गया एवं लाल्या व भगवान्या के कोई पुत्र संतान नहीं है तो मृतक छोट्या का एक मात्र वारिस पांच्या पुत्र छोट्या ही बचता है, जो छोट्या की विरासत का वास्तविक हकदार है । पांच्या की मृत्यु होने के कारण छोट्या की विरासत के भागीरथ व महादेव पुत्रान पांच्या ही वास्तविक अधिकारी है । नामांतरकरण मूल्या व उसके लडके लच्छा ने ग्यारसा का उत्तराधिकारी बनकर नामांतरकरण संख्या 16 गलत खुलवाया है, जो निरस्त हो चुका है । मूल्या के गोद जाने के बाद भी मूल्या व उसके पुत्र लच्छा का छोट्या की भूमि में कोई हक बनता है तो वे सक्षम न्यायालय से तय करावें । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय/डिक्री उनवानी पांचू बनाम लच्छा दिनांक 28.8.87 , 11.8.2011 के अनुसार मृतक छोट्या पुत्र हरिकिशन का एक मात्र वारिस पांच्या पुत्र छोट्या है एवं पांच्या के निधन के बाद एक मात्र वारिस भागीरथ व महादेव पुत्र पांच्या बनते हैं जिनके नाम नामांतरकरण संख्या 7,13 व 16 तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये मियाद के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार छोट्या पुत्र हरिकिशन की विरासत का है । छोट्या के पॉच पुत्र ग्यारसा (नाऔलाद फौत), पांच्या, भगवान्या, मूल्या एवं लाल्या थे । छोट्या के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 7 ग्रम पंचायत बिंदरखा द्वारा दिनांक 25.9.77 को ग्यारसा, मूल्या , लाल्या पि. छोट्या के नाम तस्दीक किया गया जिसके खिलाफ पांचू पुत्र छोट्या की अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने निर्णय दिनांक 12.8.96 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 7 निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे नामांतरकरण संख्या 7 की पुनः जॉच करें व मृतक के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर शजरे की जॉच करें व साथ ही प्रताबा व रामचन्द्र के शजरे की जॉच करें तथा अपीलान्ट द्वारा अपने दावे व अपील में लच्छा को लाल्या का दत्तक पुत्र स्वीकार किया है , उन सभी तथ्यों की जॉच कर सहकृषकों को भी सुना जाकर विरासत की ठीक ढंग से जॉच कर पुनः निर्णय पारित करें । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 12.8.96 के खिलाफ मूल्या पुत्र छोट्या व लच्छा पुत्र लाल्या द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष की गई जो निर्णय दिनांक 5.10.99 द्वारा खारिज की जाकर उप खण्ड अधिकारी दौसा का निर्णय दिनांक 12.8.96 यथावत रखा जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को पुनः प्रतिप्रेषित किया गया ।

इसके पश्चात् खातेदार छोट्या के पुत्र लाल्या के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 13 नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा लच्छा पुत्र लाल्या के नाम दिनांक 4.1.1983 को तस्दीक किया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

इसके पश्चात् खातेदार छाट्या के पुत्र ग्यारसा के नाऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 16 तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 1.6.1989 को मूल्या पुत्र छोट्या व लच्छा पुत्र लाल्या के नाम तस्दीक किया गया ।

उक्त दोनों नामांतरकरण संख्या 13 दिनांक 4.1.83 एवं नामांतरकरण संख्या 16 दिनांक 1.6.89 से व्यथित होकर मृतक लाल्या व ग्यारसा के भाई पांचू पुत्र छोट्या द्वारा पृथक पृथक दो प्रथम अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की , जो अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 4.4.1994 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत दोनों नामांतरकरण संख्या 13 व 16 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे दोनों नामांतरकरणों का निर्णय तथ्यों की जॉच कर, उभयपक्षों को सुना जाकर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करें ।

अति. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 4.4.1994 से असंतुष्ट होकर पृथक पृथक द्वितीय दो अपीलें मूल्या पुत्र छोट्या व लच्छा पुत्र लाल्या द्वारा न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 29.5.1995 से अति. जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 4.4.94 में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने के कारण उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हुये दोनों अपीलें खारिज की गई ।

अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29.5.95 के खिलाफ मूल्या पुत्र छोट्या व लच्छा पुत्र लाल्या द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 5.9.95 द्वारा एडमीशन स्टेज पर ही अस्वीकार की गई ।

माननीय राजस्व मण्डल तक से उनके निर्णय दिनांक 5.9.95 से अति.कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 4.4.94 एवं अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 29.5.95 यथावत रखे जाने पर रिमाण्ड आदेश की अनुपालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9.2012 पारित कर मृतक खातेदार छोट्या पुत्र हरिकिशन के पॉच जायन्दा पुत्र यथा– ग्यारसा, पांचू, भगवान्या, मूल्या व लाल्या में से ग्यारसा का औलाद फौत हुआ । पांच्या के तीन लडके क्रमशः– भागीरथ, महादेव, लल्लू होने , भगवान्या के एक लडकी जमना तथा मूल्या जीवित है एवं लाल्या के दो लडकियॉ लाडा व काली पैदा हुई । इस प्रकार मृतक छोट्या के वंशज में भागीरथ, महादेव, लल्लू पुत्रान पांच्या, जमना पुत्री भगवान्या, मूल्या पुत्र छोट्या तथा लाडा , काली पुत्रियॉ लाल्या शेष रहे हैं । पांच्या के पुत्र लल्ल का रजिस्टर्ड गोदनामे के अनुसार रामचन्द्र के गोद जाने का उल्लेख होने से मृतक खातेदार छोट्या पुत्र हरिकिशन की विरासत का नामांतरकरण भागीरथ, महादेव पुत्र पांच्या हिस्सा 1/4, मूल्या पुत्र छोट्या हिस्सा 1/4, लाडा, काली पुत्रियॉ लाल्या हिस्सा 1/4 , जमना पुत्री भगवान्या हिस्सा 1/4 के नाम खोलने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार छोट्या की भूमि के संबंध वाद अधिषोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लालसोट के समक्ष प्रकरण संख्या 235/89 उनवानी पांचू बनाम लच्छया , दूसरा वाद संख्या 545/08 उनवानी पांचू बनाम मूल्या एवं तीसरा वाद संख्या 544/08 उनवानी पांचू बनाम रामचन्द्र विचाराधीन थे, जिनमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना था । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9.2012 पक्षकारों के मध्य अधिघोषणा के दावों के विचाराधीन रहते पारित करने में विधिक त्रुटि की है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों के मध्य यदि अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन हो तो

नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही को वाद के निर्णय तक स्थगित रखनी चाहिये ताकि पक्षकारों में अनावश्यक मुकमेबाजी न बढे । प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व छोट्या के पुत्र भगवान्या व लाल्या की पुत्रियॅा जमना, लाडा व काली द्वारा दिनांक 11.1.2012 को किये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र का विधिक रूप से परीक्षण होना आवश्यक था । चूंकि सहायक कलक्टर लालसोट के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त सभी दावे निर्णय दिनांक 17.4.2013 से निर्णित हो चुके हैं । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 10.9.2012 विधिसम्यक नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट , जिला दौसा को पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने तथा पक्षकारों के मध्य विचाराधीन दावों में पारित सहायक कलक्टर लालसोट के निर्णय दिनांक 17.4.2013 के परीक्षण उपरान्त विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट , जिला दौसा दिनांक 10.9.2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने तथा पक्षकारों के मध्य विचाराधीन दावों में पारित सहायक कलक्टर लालसोट के निर्णय दिनांक 17.4.2013 के परीक्षण उपरान्त विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 21.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त (चित्रा गुप्ता) आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर